न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. कैंप कोर्ट सभा भवन पं.स. सिरोही

रा.प्रा.पत्र संख्या 172/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लच्छाराम पुत्र गमारामजी भील निवासी बडा भीलवाडा सिरोही तहसील व जिला सिरोही		राजेन्द्रकुमार पुत्र भीखाराम जाति भील जाति भील निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही अन्य 02

उपस्थित :-
1- प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह देवडा
2- अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 30-6-2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 26-10-2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सिरोही प्रथम पटवार हल्का सिरोही तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 1583 रकबा 0.5300 हेक्टेयर किस्म बारानी I, खसरा नंबर 1584 रकबा 1.0100 हेक्टेयर किस्म बारानी I व खसरा नंबर 1587 रकबा 0.5600 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 कुल किता 3 रकबा 2.1000 हेक्टेयर आई हुई है। खसरा नंबर 1583 प्रार्थी एवं उसके अन्य परिवार के सदस्यों के नाम से संयुक्त सहखातेदारी मे दर्ज है जबकि खसरा नंबर 1584 व 1587 प्रार्थी अकेले के नाम से दर्ज है और प्रार्थी ने अपपने नाम की जो भी खातेदारी है उस खातेदारी कृषि भूमि पपर सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिरोही से कृषि कार्य हेतु ऋण ले रखा है और प्रार्थी के नाम जो खातेदारी दर्ज है उस खातेदारी भूमि को सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक के अधीन रहन रख रखा है। वर्तमान नक्शा ट्रेस को देखा जाये तो उसमे खसरा नंबर 1583, 1584, व 1587 तीनों पास पास स्थित है लेकिन खसरा नंबर 1587 मे जाने के लिये 1588 मेसे आने जाने का रास्ता मौके पर पिछले कई वर्षो से मौजूद चला आ रहा था । उस रास्ते को अप्रार्थी ने पिछले 5-6 महिनों से अधिक समय से बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपने खाततेदारी कृषि भूमि मे आने जाने व तथा कृषि कार्य हेतु साधन वगैरहा ले जाने मे काफी असुविधा एवं तकलीफ हो रही है। प्रार्थी अपपने कृषि कुऐं पर आने जाने के लिये पिछले काफी वर्षो से खसरा नंबर 1588 मेसे आना जाना करता है। प्रार्थी जिस रास्ते से आना जाना कर रहा था वह खसरा नंबर 1588 के कुछ भाग मेसे उसके लोर लोर होकर निकलता है उस रास्ते को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा रोक दिया है जिससे प्रार्थी को अपने कुऐं पर ट्रेक्टर एवं बैलगाडी लाने ले जाने हेतु भारी असुविधा हो रही है। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। साथ ही यह भी निनवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सरकारी बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से जबरन अतिक्रमण कर रास्ते को रोका गया है जबकि अप्रार्थी संख्या एक को सरकारी बिलानाम भूमि पपर जबरन अवैध रूप से अतिक्रमण करने एवं रास्ता रोकने का कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भमि मे आने जाने के लिये बिलानाम खसरा नंबर 1588 के अलावा सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

बिलानाम भूमि मेसे आवागमन करना पडता है जो रास्ता अतिक्रमण कर अवरूद्व कर दिया है जिसे प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है। जिसके लिये प्रार्थी राज्य सरकार के आदेशानुसार शुल्क अदा करने को तत्पर है। इस कारण प्रार्थी को मजबूरन यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त के कुऐं पर आने जाने हेतु नियमानुसार खसरा संख्या 1588 बिलानाम सरकारी भूमि से रास्ता दिलाने का आदेश दिलाने की कृपा करावें इसके लिये प्रार्थी नियमानुसार शुल्क राशि वहन करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर नया 332 खसरा नंबर 1583 क्षैत्रफल 0.5300 हेक्टेयर किस्म बारानी I,जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर नया 334 खसरा नंबर 1584 रकबा 1.0100 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 व जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर नया 333 खसरा नंबर 1587 क्षैत्रफल 0.5600 हेक्टेयर किस्म बारानी I खसरा गिरदावरी संवत 2070 से 2073 खसरा नंबर 1588,1583,1584,1587 अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही)के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 1588 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किस्म बारानी I प्रस्तावित रास्ते के मौके के फोटोग्राफस रंगीन,नक्शा किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 26–10–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक 21–11–2017 को उक्त नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

आज दिनांक 30–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.स.सिरोही के सभा भवन मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील श्री नरेन्द्रसिंह देवडा तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही उपस्थित हुयें । तहसीदार,सिरोही ने मौके एवं रेकर्ड के आधारित मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट पेश की जिसको शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार ,सिरोही ने उक्त मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट मे यह कथन किया कि प्रार्थी लच्छाराम पुत्र गमनाराम जाति भील साकिन सिरोही द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि मोजा सिरोही I के खसरा नंबर 1587 रकबा 0.5600 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिये स्थाई/अस्थाई रास्ता नही होने से रेकर्डेड रास्ता की मांग की है जिस पर मौका अनुसार खसरा नंबर 1583 के उतरी तरफ से होते हुये आगे खसरा नंबर 1588 मेसे 1587 तक पहुॅचने के लिये रास्ता चाहा गया है। खसरा नंबर 1583 प्रार्थी के स्वंय की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता नही है। खसरा नंबर,1588 रकबा 0.7600 हैक्अेयर है जो राजकीय बिलानाम भूमि है। राराजकीय बिलानाम भूमि खसरा नंबर 1588 मे रकबा 12 फीट चौडाई अर्थात 4 मीटर व 48 मीटर लंबाई अर्थात कुल क्षैत्रफल 192 वर्गमीटर (0.0192 हेक्टेयर) मे रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित है। खसरा नंबर 1588 राजकीय बिलानाम भूमि होने से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नही है। प्रस्तावित मार्ग खसरा नंबर 1588 की पश्चिमी व दक्षिणी भाग मे सीमा से लगता हुआ है।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ,सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण की

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No3

पत्रावली मय प्रार्थनापत्र मय राजस्व रेकर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की उक्त जमाबंदीयॉ ⁄ प्रतियों नक्शा किश्तवार व जवाब अप्रार्थी तहसीलदर ⁄ सिरोही का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ⁄ सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त खसरा नंबर 1588 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किस्म बारानी I कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे रकबा 12 फीट चौडाई अर्थात 4 मीटर व 48 मीटर लंबाई अर्थात कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर (0.0192 हेक्टेयर) कम कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ⁄ ट्रेक्टर ⁄ बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थी द्वारा मांगी गई उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार ⁄ सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी. एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ⁄ सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार ⁄ सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त खसरा नंबर 1588 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किस्म बारानी I कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे रकबा 12 फीट चौडाई अर्थात 4 मीटर व 48 मीटर लंबाई अर्थात कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर (0.0192 हेक्टेयर) रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार ⁄ सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार ⁄ सिरोही द्वारा प्रस्तावित प्रार्थी को मौजा सिरोही प्रथम पटवार हल्का सिरोही तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 1588 रकबा 0.7600 हेक्टेयर किस्म बारानी I कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे रकबा 12 फीट चौडाई अर्थात 4 मीटर व 48 मीटर लंबाई अर्थात कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर (0.0192 हेक्टेयर) रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई भूमि की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार ⁄ सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार ⁄ सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार ⁄ सिरोही) की खातेदारी की उक्तखसरा नंबर 1588 रकबा 0.7600

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Continue Page No-4

पेज नं. 4 लरछाराम v/s राजेन्द्र कुमार

हेक्टेयर किस्म बारानी I कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे रकबा 12 फीट चौडाई अर्थात 4 मीटर व 48 मीटर लंबाई अर्थात कुल क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर (0.0192 हेक्टेयर) रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई है कि उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30-6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पं.स.सिरोही के सभा भवन मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

30/6/18

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) 307001
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज़ दिनांक 30–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर /पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

30/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) 307001
सिरोही

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)